



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 2017/अग्रहायण 14, 1939

No. 457]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 2017/AGRAHAYANA 14, 1939

**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**

**(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

**सं. एच.आर.डी./सी-1(3)2010/आर.आर./एम.टी.एस.—**कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (बहु-कार्य स्टाफ) भर्ती नियम, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसी बातों जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया

गया है अथवा करने का लोप किया गया है, को छोड़कर, केन्द्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से परामर्श के पश्चात् एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बहु-कार्य स्टाफ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है:-

### 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

- 1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (बहु-कार्य स्टाफ) भर्ती नियम, 2017 कहा जाएगा।
- 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

### 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

### 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि-

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इन पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

### 4. अयोग्यता- वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा
- (ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की उस व्यक्ति पर लागू व्यक्तिगत विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

### 5. ढील देने की शक्ति-

जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

### 6. व्यावृत्ति -

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैरचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बहु-कार्य स्टाफ	1256* (2017) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-01 (18,000-56,900 रुपये)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच  नोट : आयु सीमा निर्धारित करने हेतु निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने हेतु नियत की गई अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, केंद्र शासित प्रदेश के अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्ष्यद्वीप के उम्मीदवारों के लिए विहित की गई है)	<b>अनिवार्य:</b> मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण  <b>वांछनीय:</b> 1. होमगार्ड के रूप में या सिविल डिफेंस स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा और होमगार्ड या सिविल डिफेंस में बुनियादी प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम; या 2. भूतपूर्व सैनिक ; या 3. केट्रिंग, हाउस कीपिंग, कुकरी के मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणपत्र; या 4. चार पहिया वाहन चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलेन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलेन द्वारा भर्ती होने के स्थिति में श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलेन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग को किन परिस्थितियों में परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) या केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा अनुमोदित अन्य किसी एजेन्सी के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा	लागू नहीं	<b>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल) या मुख्यालय में अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासनिक सेवा प्रभाग) – अध्यक्ष</li> <li>क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आंचलिक कार्यालय) या मुख्यालय में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासनिक सेवा प्रभाग) – सदस्य</li> <li>केंद्र सरकार के विभागों या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अतिरिक्त अन्य संगठनों से समुचित श्रेणी के अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं

डॉ. वी.पी. जोय, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं  
सचिव, केन्द्रीय बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./325/17]

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**  
(EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th September, 2017

**No. HRD/C-1(3)2010/RR/MTS.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of section 5(D) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2011,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board, after consultation and with the approval of Central Government, Ministry of Labour and Employment, hereby makes the following regulations regulating method of recruitment for the post of Multi-Tasking Staff in the Employees' Provident Fund Organisation, namely:-

**1. Short title and commencement.-**

- (1) These Regulations may be called the Employees' Provident Fund Organisation (Multi-Tasking Staff) Recruitment Regulations, 2017.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

**2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.-**

The number of the posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Regulations.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.-**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.-** No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulations.

**5. Power to relax.-**

Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of persons.

**6. Savings.-**

Nothing in these Regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of Post	Number of post	Classification	LEVEL in the Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MULTI-TASKING STAFF	1256* (2017) *subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level-01 in the Pay Matrix [Rs.18,000-56,900]	Not Applicable	Between 18 and 25 years of age  <b>NOTE:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep).	<b><u>Essential:</u></b> Matriculation or equivalent pass.  <b><u>Desirable:</u></b> 1. Three years service as Home Guard or as Civil Defence Volunteer and Training in basic and refresher course in Home Guard or Civil Defence; or 2. Ex-Servicemen; or 3. Certificate from recognized Institute in Catering, House Keeping, cookery; or 4. Possessing valid four wheeler driving license.	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two Years	By direct recruitment through Staff Selection Commission or any other agency as approved by the Central Board, Employees' Provident Fund.	Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b> (i) Additional Central Provident Fund Commissioner (Zone) or Additional Central Provident Fund Commissioner (Administrative Service Division) in Headquarters – <b>Chairman</b> (ii) Regional Provident Fund Commissioner (Zonal Office) or Regional Provident Fund Commissioner (Administrative Service Division) in Headquarters– <b>Member</b> (iii) An officer of appropriate grade from Central Government Departments or Organisation outside Employees' Provident Fund Organisation - <b>Member</b>	Not applicable

Dr. V.P. JOY, Central Provident Fund Commissioner and  
Secy. Central Board

[ADVT.-III/4/Ety./325/17]